ओ0पी0सिंह,
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्या– 30 /2018
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश ।
1– तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
दिनांक: जून 13 ,2018

प्रिय महोदय,

प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों मे बढ़ रही पुलिस की चुनौतियों, उत्तरदायित्वों एवं मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून व्यवस्था एंव अपराध के पृथकीकरण के सम्बन्ध में विभिन्न समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों द्वारा क्षेत्राधिकारी मुख्यालय के थानों पर प्रभारी निरीक्षक (भारसाधक अधिकारी) के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण में 1–अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (प्रशासन), 2–अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (अपराध) एवं 3–अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था) को नियुक्त किया जाए। इस प्रकार क्षेत्राधिकारी मुख्यालय के थानो पर 1+3 निरीक्षक रैंक के अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। उक्त नियुक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में प्रभारी निरीक्षक वरिष्ठतम होना चाहिए।

यदि प्रभारी निरीक्षक (भारसाधक अधिकारी) के अन्तर्गत किन्हीं कारणों से 03 से कम निरीक्षक नियुक्त होते हैं तो प्रभारी निरीक्षक अपने पर्यवेक्षण में नियुक्त निरीक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार दे सकते हैं। उदाहरणस्वरूप यदि किसी थाने पर अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (अपराध) एवं अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था) ही तैनात हैं तो किन्हीं एक निरीक्षक को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (प्रशासन) का कार्यभार दे सकते हैं।

प्रभारी निरीक्षक (भारसाधक अधिकारी), अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (प्रशासन), अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था) एंव अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (अपराध) के कार्य एवं उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार होगा :–

**थाना स्तर पर प्रभारी निरीक्षक, निरीक्षक अपराध, निरीक्षक कानून व्यवस्था एवं निरीक्षक प्रशासन के कार्य एवं उत्तरदायित्व–**

1– **प्रभारी निरीक्षक (SHO ) :–**

1– थाने का भारसाधक अधिकारी तथा तीनो अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षकों एवं एसएसआई के कार्यो का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण करना।
2– द0प्र0सं0 में दिये गये भारसाधक अधिकारी के समस्त दायित्वों का निर्वहन।
3– समस्त आने व भेजी जाने वाली डाक का अवलोकन।
4– न्यायालय के प्रोसेस का कियान्वयन करना व कराना।
5– सभी गम्भीर अपराधों के घटनास्थल का निरीक्षण ।

6– अभियोगों का पंजीकरण करना व कराना ।
7– मासिक सम्मेलन ।
8– वेलफेयर एवं वेलफयर से सम्बन्धित समस्त कार्य ।
9– थाने के मालखाने का प्रभार एवं थाने के गोपनीय अभिलेखों का रखरखाव ।
10– अपने अधीनस्थ सभी विवेचकों की कार्यदक्षता की गोपनीय रिपोर्ट प्रेषित करन ।
11– कर्मचारियों के अवकाश सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों का समयबद्व न्यायपूर्ण तरीके से निस्तारण ।
12– जन सुनवाई ।
13– अति महत्वपूर्ण व अति जघन्य अपराधों की विवेचना।
14– जघन्य अपराध एवं नक्सल व आतंकवादी गतिविधियों के बारे मे अभिसूचना संकलन एवं ऐसी सूचनाओं का डेटाबेस तैयार करना ।
15– किसी तरह के जघन्य अपराध, नक्सल अथवा आतंकवादी घटनाएं होने पर एवं सोशल मीडिया पर पुलिस से सम्बन्धित प्रचारित संदेशों के माध्यम से आम जनता मे जागरूकता फैलाने हेतु संदेशों का सम्प्रेषण ।
16– क्षेत्राधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया अन्य सभी नियत कार्य ।
17– अन्य कोई कार्य जो तीनो प्रभारियों की जिम्मेदारी मे आवंटित नही है ।

## 2– <u>अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (प्रशासन) (Addl SHO Admin )</u>

1– जी0पी0 लिस्ट ।
2– मालखाने के प्रबन्धन मे वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक को सहयोग ।
3– जनसुनवाई मे सहयोग ।
4– न्यायालयों मे सम्बन्धित सम्मन, नोटिस एवं अन्य वैधानिक आदेश का सम्पादन अथवा पर्यवेक्षण एवं उससे सम्बन्धित अनुपालन आख्या न्यायालय मे प्रेषित कराने के लिये वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक को सहयोग प्रदान करेगें ।
5– जन सम्पर्क कार्य करना व कराना ।
6– सभी प्रार्थनापत्रों का थाने के समस्त स्टाफ मे आवंटन की जिम्मेदारी ।
7– समस्त प्रार्थनापत्रों का समयबद्व निस्तारण एवं वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना समय से प्रेषित करना ।
8– थाना परिसर व पुलिस कर्मी आवास का अनुरक्षण, परिरक्षण, मरम्मत ।
9– थाना से सम्बन्धित बजट सम्बन्धी कार्य ।
10– मालखाना, आर्म्स एमुनेशन, लाइब्रेरी, लॉक–अप का समुचित रखरखाव तथा उसकी मासिक विवरणी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना ।
11– मानव संसाधन प्रबन्धन एवं उसका अनुशासन इत्यादि ।
12– लोक शिकायत प्राप्त करना तथा उसके निवारण का यथाशीघ्र प्रयास करना और उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना ।
13– थाना से सम्बन्धित स्थापना कार्य ।
14– सभी प्रकार के सत्यापन ।
15– सम्पूर्ण प्रशासन एवं आंकिक कार्य।

16– समय से सभी बिलों को तैयार करना व भेजना।

17– पुलिस आधुनिकीकरण (माडर्नाइजेशन) की योजना बनाना और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करना ।

18– जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत सभी प्रार्थनापत्रों का समयबद्व निस्तारण करना व कराना।

19– अपील/ रिव्यू, रिट मामले ।

20– कम्युनिटी पुलिसिंग– विभिन्न समितियों की बैठक आयोजित करना एवं इस क्षेत्र मे अधीनस्थ स्टाफ के कार्यो का पर्यवेक्षण ।

3– <u>अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (अपराध ) (Addl SHO Crime )</u>

1– अपराध से सम्बन्धित सभी मामलों की जिम्मेदारी।

2– अभियोग पंजीकरण को छोडकर सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यो का नियत समय मे विधि सम्मत तरीके से सम्पादित करना एवं कराना तथा डिजिटलीकरण।

3– अपराधो/यूपी–100 की पाक्षिक/मासिक स्टडी तथा एनालिसिस करना एवं इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना जिससे अपराध का पैटर्न व ट्रेंड जाना जा सके । तथा भविष्य मे ऐसी प्रकति के अपराध पर नियंत्रण किया जा सके । चुनावी अपराधों के रोकथाम के लिये कार्ययोजना ।

4– सभी गम्भीर अपराधों के घटनास्थल का निरीक्षण तथा पीड़ितों की सुरक्षा प्रदान करना तथा उसकी सूची तैयार करना ।

5– साइबर अपराधों की विवेचना ।

6– काइम सम्बन्धी सभी रिपोर्ट भेजना ।

7– विवेचना से सम्बन्धित सभी रजिस्टर, काइम चार्ट, सजायाफ्ता रजिस्टर हिस्ट्रीशीट, मोडस ऑपरेन्डी, फिंगर प्रिन्ट रजिस्टर आदि का समुचित नियमानुसार रखरखाव ।

8– अपराधियों के डोजियर का रखरखाव, क्रियाशील अपराधियों की निगरानी, रजिस्टर्ड गैंग की निगरानी, संगठित अपराध करने वाले अपराधियों की जानकारी उन्हे सूचीबद्व करते हुये उनके विरूद्व कार्यवाही किया जाना । इस प्रकार के अपराधियों के गैंग को रजिस्टर्ड कराना तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना ।

9– गैंगस्टर/एन0एस0ए0 व अन्य निरोधात्मक कार्यवाही करना, जेल से छूटे अपराधियों का अनुश्रवण करना तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना ।

10– हत्या/डकैती के साथ हत्या एवं अन्य गम्भीर जघन्य अपराध की तत्काल सूचना भेजना ।

11– अपराधों के चार्जशीट अथवा अन्तिम प्रपत्र भेजे जाने से पूर्व साक्ष्यों का मूल्यांकन करना और वरिष्ठ अधिकारियों से अवलोकित कराना ।

12– लूट/डकैती जैसे जघन्य अपराधों का शीघ्र अनावरण ।

13– विवेचना सम्बन्धी सभी प्रपत्र समय से सम्बन्धित इकाई को भिजवाना ।

14– सभी अपराधिक अभियोगों की विवेचना करना व कराना ।

15– थाना क्षेत्र मे विवेचनाओं की संख्या को देखते हुये विवेचकों को प्रतिवर्ष विवेचना निस्तारित करने की संख्या का निर्धारण करना एवं इसकी सूची वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।

16– महत्वपूर्ण अभियोगों की सूची बनाकर प्रभावी पैरवी कराना तथा उससे सम्बन्धित गवाहों व माल मुकदमाती को न्यायालय मे समय से प्रस्तुत कराना एवं साक्षियों को समुचित सुरक्षा प्रदान कराना ।

17– अपराधियों के जमानत प्रार्थनापत्रों का विरोध करने हेतु यथा आवश्यक समयबद्व कार्यवाही करना ।

18– गवाहों को पक्षद्रोही होने से बचाने तथा ऐसे गवाह जो काफी लम्बे समय से अभियोग के लम्बित रहने के कारण सुलह समझौते की ओर अग्रसर होने वाले हो उनसे सामंजस्य बनाकर दोषियों को सजा दिलाने की ओर अग्रसर होना तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना ।

19– कोर्ट मोहर्रिर, पैरोकार व थाना प्रभारी के मध्य समन्वय स्थापित करके विधि विरोधी गतिविधियों मे लगे लोगों की सूचनाओं को संकलित करके प्रभावी कार्यवाही करना तथा उसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना ।

20– मा0 उच्च न्यायालय मे विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों मे प्रभावी पैरवी कराकर मजबूती से पक्ष रखने की कार्यवाही कराना ।

21– विवेचना मे आयी त्रुटियों की वजह से अभियुक्तों को मिलने वाले लाभ को रोकने हेतु सुसंगत एवं नैसर्गिक ठोस साक्ष्यों के आधार पर समयबद्व विवेचनात्मक कार्यवाही करना ।

22– गम्भीर अपराधों की विवेचना के दौरान आधुनिक व वैज्ञानिक उपकरण आधारित साक्ष्यों को संकलित कराना ।

23– अपने अधीनस्थ सभी विवेचकों की कार्यक्षमता की गोपनीय रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।

24– वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया अन्य सभी नियत कार्य ।

## 4– <u>अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक (कानून व्यवस्था)(Addl SHO Law & order )</u>

1– थाना क्षेत्र से सम्बन्धित कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी ।

2– बीट पेट्रोलिंग, नाकाबन्दी, बन्दोबस्त आदि जैसे कार्य ।

3– उपनिरीक्षकों, आरक्षियों, होमगार्ड्स व अन्य कर्मचारियों का डियूटी निर्धारण, रोल–कॉल ।

4– अपराध रोकथाम हेतु विभिन्न डियूटियों के लिये पुलिस पार्टियों का व्यवस्थापन ।

5– सुचारू टैफिक व्यवस्था ।

6– एण्टी रोमियों स्क्वायड की व्यवस्था ।

7– जुलूस, धरना, प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था ।

8– मेला, धार्मिक आयोजन, त्यौहार आदि के अवसर पर शांति व्यवस्था ।

9– किसी अपराध या प्राकतिक आपदा से जनित कानून व्यवस्था ।

10– ऐसे अभियोगों की विवेचना जिससे सम्बन्धित आतंकवादी गतिविधियों से कानून व्यवस्था प्रभावित हुयी हो अथवा हो रही हो उसकी रोकथाम करना तथा वरिष्ठ अधिकारियों को समय से यथाशीघ्र सूचित करना ।

11– यू0पी0–100 की गाडियों का प्रबन्धन एवं उनके रखरखाव तथा गाड़ियों के लॉग बुक को नियमित चैक करना और वाहनों के रखरखाव व ईंधन के मद मे हुये खर्च की साप्ताहिक विवरणी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना ।

12– डेली/त्यौहार डियूटी मे पुलिस बल का व्यवस्थापन करना ।

13– थाना क्षेत्र मे नियमित चैकिंग करना एवं कराना ।

14– वी0वी0आई0पी0 डियूटी एवं चुनाव डियूटी का व्यवस्थापन, प्रबन्धन एवं अनुश्रवण ।

15– अपराध से प्रभवित होने वाले संभावित स्थलों की सुरक्षा जैसे मॉल, बहुमंजिली इमारते, होटल, मार्केट, सिनेमाहॉल व अन्य सार्वजनिक स्थल/सरकारी संस्थान तथा शासकीय सम्पत्ति आदि की सुरक्षा ।

16– अतिरिक्त पुलिस बल की मॉग ।

17– वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया अन्य सभी नियत कार्य ।

सभी जनपदीय पुलिस प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक उपरोक्त के सन्दर्भ मे यथाशीघ्र अनुपालन आख्या प्रेषित करें । जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से प्रभारी पुलिस अधिकारी उक्त का पर्यवेक्षण नियत समय पर करना सुनिश्चित करें ।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू किये जाते हैं ।

भवदीय,

13.6.18

( ओ0पी0 सिंह )

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश ।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

1– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।

2– समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

3– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।